मुख्यमंत्री चुड़ादा गाँव की गलियों में घूमे व स्थानीय लोगों से बातचीत की

भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने पीपल के नीचे चौपाल लगाई और लोगों के अभाव अभियोग सुने

बांसवाड़ा/जयपुर, 21 मई। बांसवाड़ा जिले के सुदूर आदिवासी अंचल में स्थित चुड़ादा गाँव में रात्रि चौपाल लगाने के बाद मुख्यमंत्री गुरुवार सुबह फिर से ग्रामीणों के बीच पहुँचे। उन्होंने गांव की गलियों में भ्रमण करते हुए स्थानीय लोगों से संवाद किया और जन-मन की बात जानी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को साकार करने के लिए कार्य कर रही है। ग्राम विकास चौपाल उसी अंत्योदय दर्शन का जीवंत स्वरूप है, जहां अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक योजनाओं और विकास का लाभ पहुंचाना सरकार की पहली प्राथमिकता है।

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्रामीणों के साथ चाय पर चर्चा करते हुए उनकी कई मांगों का तुरन्त समाधान किया। उन्होंने ग्राम ठुम्मठ में माँ बाड़ी केन्द्र निर्माण के लिए 16-20 लाख रूपए, ठुम्मठ चौराहे पर सिंगल फेज़ ट्यूबवैल निर्माण के लिए 20 लाख रूपए, ग्राम चुडादा में मामा बालेश्वर दयाल मंदिर परिसर में इंटरलॉकिंग एवं सौंद्रर्यीकरण के लिए 7 लाख रूपए की तत्काल स्वीकृति जारी की।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बांसवाड़ा के चुड़ादा गाँव में रात्रि चौपाल लगाने के बाद सुबह भ्रमण के दौरान ग्रामीणों से चाय पर चर्चा करते हुए उनकी मांगों का समाधान किया।

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पीपल के पेड़ के नीचे चौपाल लगाई और लोगों के अभाव-अभियोग सुने। इस दौरान उन्होंने पानी से जुड़े विभिन्न मामलों पर संज्ञान लेते हुए जिला कलक्टर को सिंचाई के लिए हीरन नदी पर एनिकट निर्माण एवं पेयजल स्रोतों के लिए निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जगह जगह रूककर बच्चों को उपहार स्वरूप चॉकलेट बाँटी तथा उन्हें पढ़-लिखकर उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए प्रेरित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए प्रत्येक बूंद को बचाना और उसका समुचित उपयोग करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

इसके बाद मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से चाय पर चर्चा करते हुए उनकी मांगों का समाधान किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गांव ठुम्मठ में मां बाड़ी केन्द्र निर्माण के लिए 16.20 लाख रुपये, ठुम्मठ चौराहा पर सिंगल फेज ट्यूबवैल निर्माण के लिए 20 लाख रुपये तथा ग्राम चुडादा में मामा बालेश्वर दयाल मंदिर परिसर में इंटरलॉकिंग एवं सौंदर्यीकरण के लिए 7 लाख रूपये की तत्काल स्वीकृति भी जारी कर दी गई।

इससे पहले, मुख्यमंत्री ने संत मामा बालेश्वर दयाल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक सहित, अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

सभी हाईकोर्ट ऑनलाइन सुनवाई करें- मुख्य न्यायाधीश

नई दिल्ली, 21 मई। देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने देश भर के सभी उच्च न्यायालयों को ऑनलाइन सुनवाई करने का निर्देश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश ने दिल्ली की सभी अदालतों में ऑनलाइन सुनवाई की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही।

- **गत 15 मई को उच्चतम न्यायालय में सोमवार व शुक्रवार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करने का निर्णय लिया था।**

ऑनलाइन सुनवाई के आग्रह पर अधिकांश उच्च न्यायालयों ने इसे लागू भी कर दिया है।

उन्होंने कहा कि वकीलों और जजों दोनों के लिए ये एक स्वैच्छिक अभ्यास के रुप में शामिल करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने साफ किया कि जिला न्यायालय संबंधित उच्च न्यायालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में रहते हैं।

कॉक्रोच जनता पार्टी के एक्स अकांउट पर बैन लगा

संस्था के संस्थापक अभिषेक दिप्के ने अपने पर्सनल एक्स अकाउंट पर यह जानकारी दी और कहा यही उम्मीद थी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 मई। व्यंग्य करने वाले प्लेटफॉर्म "कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी)" का एक्स अकाउंट भारत में रोक दिया गया है। इस मंच के संस्थापक अभिजीत दिपके ने गुरुवार को अपने निजी अकाउंट पर पोस्ट कर बताया कि सीजेपी का अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया है।

दिपके ने एक्स पर "ब्लॉक" पॉप अप का स्क्रीन शॉट शेयर करते हुए लिखा, "जैसी कि उम्मीद थी, कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया है।"

एक्स ने कहा कि अकाउंट को एक कानूनी मांग के जवाब में रोका गया है।

हालांकि सीजेपी का एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन खबर लिखे जाने तक उसका इंस्टाग्राम अकाउंट 1.34 करोड़ फॉलोअर्स के साथ सक्रिय था।

- **सीजेआई सूर्यकांत की बेरोजगार युवाओं को कॉक्रोच बताए जाने की टिप्पणी के विरोध स्वरूप बनाया गया यह एक "सटायर प्लेटफॉर्म" है, जिसे "आलसी और बेरोजगारों की आवाज़" करार दिया गया है।**
- **इसका इंस्टाग्राम एकाउंट अभी एक्टिव है, जिसमें फॉलोअर्स की तादाद निरंतर बढ़ रही है।**

एक सप्ताह से भी कम समय पहले सामने आया यह व्यंग्य प्लेटफॉर्म इंटरनैट पर छा गया है। यह खुद को "युवाओं का, युवाओं द्वारा, युवाओं के लिए राजनीतिक मंच" बताता है। साथ ही खुद को "आलसी और बेरोज़गार लोगों की आवाज" भी कहता है।

इस वेबसाइट के फुटनोट में लिखा है कि यह व्यंग्य पर आधारित रचना है। इसे अभिजीत दिपके ने बनाया है, जो खुद को "कॉकरोच जनता पार्टी" का संस्थापक अध्यक्ष बताते हैं।

वेबसाइट पर एक फॉर्म भी है, जिसे भरकर लोग इस तथाकथित पार्टी से जुड़ सकते हैं। मंच का दावा है कि उसे अब तक 6 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन मिल चुके हैं।

सीजेपी ने एक घोषणापत्र भी जारी किया है, जिसमें कई मांगें रखी गई हैं। इनमें सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य न्यायाधीशों को राज्यसभा सीट देने पर रोक, सदन की सदस्य संख्या बढ़ाए बिना महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण, और दल-बदल करने वालों के चुनाव लड़ने पर 20 साल की रोक लगाने की मांग की गई है।

उपराष्ट्रपति ने राजीव गांधी के योगदान को याद किया

नई दिल्ली, 21 मई। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर गुरुवार को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केन्द्रीय मंत्रियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके योगदान और बलिदान को याद किया।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अपने आवास पर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन में राजीव गांधी के योगदान और राष्ट्र सेवा में उनके बलिदान को सम्मान और कृतज्ञता के साथ याद किया जाता है।

- **उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, स्पीकर ओम बिड़ला तथा कई वरिष्ठ केन्द्रीय मंत्रियों ने राजीव गांधी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी।**

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण नमन करते हुए देश के प्रति उनके योगदान को स्मरण किया।

केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी और देश के लिए उनके योगदान को याद किया।

कलकता हाईकोर्ट ने आरजी कर मामले की दुबारा सीबीआई जांच के निर्देश दिये

अदालत ने सीबीआई के संयुक्त निदेशक के नेतृत्व में तीन सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने को कहा

कोलकाता, 21 मई। आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला चिकित्सक के दुष्कर्म और हत्या मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए मामले की पुन: जांच कराने का निर्देश दिया। अदालत ने पीड़िता के परिवार की मांगों और आपत्तियों की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने को कहा है। यह दल केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के संयुक्त निदेशक के नेतृत्व में काम करेगा।

न्यायमूर्ति शम्पा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ ने कहा कि अपराध की प्रकृति और समाज की संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए यह आदेश दिया जा रहा है।

अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह दोबारा घटनास्थल का निरीक्षण करे, पीड़िता के परिवार से बातचीत करे तथा मामले से जुड़े सभी दस्तावेज, साक्ष्य और रिकॉर्ड की गहन जांच करे।

- **हाईकोर्ट ने कहा है कि सीबीआई दोबारा घटनास्थल का निरीक्षण करे, पीड़िता के परिवार से बातचीत करे तथा मामले से जुड़े सभी दस्तावेज साक्ष्य व रिकॉर्ड की गहन जांच करें।**

हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले की अगली सुनवाई 24 जून को होगी। उस दिन सीबीआई को अदालत में अपनी प्रगति रिपोर्ट पेश करनी होगी।

सुनवाई के दौरान, अदालत ने जांच प्रक्रिया को लेकर सीबीआई से कई सवाल किए। न्यायालय ने पूछा कि जब जांच अभी पूरी नहीं हुई है, तब घटनास्थल पर लोगों का प्रवेश कैसे हो रहा है। अदालत ने निर्देश दिया कि सेमिनार कक्ष सहित अस्पताल के उन सभी हिस्सों को तुरंत सील किया जाए, जिन्हें सुरक्षित रखना आवश्यक है।

उल्लेखनीय है कि अगस्त 2024 में आर.जी. कर अस्पताल की एक महिला प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। मामले में आरोपित संजय राय को अदालत पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है। हालांकि पीड़िता के परिवार ने जांच की निष्पक्षता और कई पहलुओं पर सवाल उठाते हुए दोबारा अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

पुलवामा का मास्टर माइंड हमज़ा बुरहान पीओके के मुजफ्फराबाद में मारा गया

अज्ञात बंदूकधारियों ने स्थानीय कॉलेज के बाहर उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें वह मारा गया

नई दिल्ली, 21 मई । जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हमज़ा बुरहान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के मुजफ्फराबाद में अज्ञात बंदूकधारियों के हमले में मारा गया। उसे कई गोलियां लगीं। हमले के बाद उसके साथियों ने उसे तुरंत पास के अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

विदेशी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 27 साल का हमज़ा बुरहान भारत में प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल-बद्र से जुड़ा था। उसका पूरा नाम अरजुमंद गुलजार डार था, जिसे उसके सर्किल में डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता था। पुलवामा के रत्नीपुरा इलाके के ग्राम खरबतपोरा में पैदा हुआ हमज़ा 2017 में उच्च शिक्षा के बहाने पाकिस्तान चला गया था। बाद में वह प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल-बद्र में शामिल हो गया और आखिरकार कमांडर के रैंक तक पहुंच गया। वह कश्मीर घाटी में कई आतंकी हमलों में शामिल था। हमज़ा 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड में से एक था। उसे पीओके मुजफ्फराबाद में अज्ञात बंदूकधारियों ने मार गिराया। हमलावरों ने मुजफ्फराबाद स्थित एआईएमएस कॉलेज के बाहर उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जिसमें वह गिर पड़ा।

- **पुलवामा के ग्राम खरबतपोरा में जन्मा हमज़ा उच्च शिक्षा के बहाने पाकिस्तान गया। वहाँ प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल बद्र में शामिल हो गया और कमांडर के रैंक तक पहुँच गया।**

गौरतलब है कि हमज़ा की मदद से आतंकियों ने पुलवामा के लाथपोरा में श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे पर सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला किया था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान बलिदान हो गए थे। इस घटना के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए थे, वहीं भारत ने पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे।

'भाजपा अगले ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

"विरासत संबंधी मुद्दों" (लीगसी इश्यूज़) का सामना करना पड़ा, जो पिछले शासन की नकारात्मक धारणाओं से जुड़े थे, जिससे उसके राजनैतिक पुनरुत्थान के लिये लंबी प्रक्रिया आवश्यक हो गई। गुप्ता ने कहा, "यदि आप 2029 की बात करें, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस सत्ता से 15 साल दूर रहेगी। मुझे लगता है कि पार्टी को पूरे देश को मनाने में कम से कम पांच साल और लगेंगे।" दीर्घकालीन राजनीतिक भविष्यवाणियाँ जटिल होती हैं और जोखिमों का सामना करती हैं। भाजपा के मामले में, सत्ता में बने रहना कई कारकों पर निर्भर करेगा, जैसे नरेन्द्र मोदी के बाद नेतृत्व के उत्तराधिकार का मुद्दा, सत्ता-विरोधी चक्रों की ताकत, विरोधी गठजोड़, क्षेत्रीय विघटन, आर्थिक झटके या सामाजिक परिवर्तन।

राहुल, सोनिया ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गांधी जी को उनकी पुण्यतिथि पर नमन। राहुल गांधी ने एक्स पर अपने पिता के साथ एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि पापा, आपने जिस कुशल, समृद्ध और मजबूत भारत का सपना देखा था, उसे साकार करने की जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। आपकी सीख, आपके संस्कार और आपकी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी।

अदालत ने स्वयंभू धर्मगुरु को 26 मई तक ईडी हिरासत में भेजा

मुंबई, 21 मई। प्रवर्तन निदेशालय ने स्वयंभू धर्मगुरु अशोक कुमार एकनाथ खरात उर्फ कैप्टन को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया है। ईडी ने आरोपी को 19 मई को गिरफ्तार किया था। इसके बाद मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने उसे 26 मई तक सात दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया।

ईडी ने यह जांच नासिक शहर के सरकारवाड़ा थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की थी। अशोक कुमार एकनाथ खरात और अन्य आरोपितों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, महाराष्ट्र मानव बलि एवं अन्य अमानवीय, अघोरी तथा काला जादू प्रथा उन्मूलन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में शिर्डी थाना और राहाता थाना, अहिल्यानगर में दर्ज प्राथमिकी को भी जांच में शामिल किया गया।

हाईकोर्ट आज उमर खालिद की अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेगा

नई दिल्ली, 21 मई। दिल्ली हिंसा मामले के आरोपित उमर खालिद ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अंतरिम जमानत याचिका दायर की है। जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच उमर खालिद की अंतरिम जमानत याचिका पर कल यानी 22 मई को सुनवाई करेगी।

उमर खालिद ने कड़कड़डूमा कोर्ट के 19 मई के आदेश को चुनौती दी है,

- **कड़कड़डूमा कोर्ट ने खालिद की अंतरिम जमानत याचिका 19 मई को खारिज की थी**

जिसमें अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। कड़कड़डूमा कोर्ट में उमर खालिद ने अपने चाचा के निधन के बाद चेहलुम और अपनी मां की 2 जून को होने वाली सर्जरी के पहले और बाद में उनके साथ रहने के लिए 15 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी। कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा था कि उमर खालिद को पहले भी अंतरिम जमानत मिली थी और उस दौरान उसने जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया था। इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार उसे अंतरिम जमानत दी जाए।

कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा था कि चाचा के चेहलुम में शामिल होना उतना जरुरी नहीं है। उसे चाचा के निधन के समय ही अंतरिम जमानत की मांग करनी चाहिए थी। चाचा के निधन के काफी दिन बीतने के बाद अंतरिम जमानत का कोई मतलब नहीं है।

प.बंगाल में भाईपो ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

धमकाया जाता था, देरी कराई जाती थी या वाहनों को नुकसान पहुंचाया जाता था। कई ट्रांसपोर्टरों का कहना था कि ऐसी वसूली से परिचालन लागत बढ़ जाती थी और पूर्वी भारत के महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक कॉरिडोर में माल ढुलाई धीमी हो जाती थी। बंगाल, भारत के मुख्य भूभाग को पूर्वोत्तर और बांग्लादेश से जोड़ने वाले माल परिवहन के एक बड़े हिस्से को संभालता है, इसलिए हाईवे पर सुचारु आवाजाही आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है।

मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी के नेतृत्व में नई भाजपा सरकार बनने के बाद जिला प्रशासन को कथित तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि सड़क किनारे बने अवैध वसूली केन्द्रों को हटाया जाए और अनौपचारिक चेकपोस्ट दोबारा न बनने दिए जाएं। कई हाईवे क्षेत्रों से ऐसी रिपोर्ट आई हैं कि पिछले कुछ दिनों में बांस की बैरिकेडिंग और अनौपचारिक नाके गायब हो गए हैं।

ट्रक ऑपरेटरों ने इस कदम का स्वागत किया है और कहा है कि इससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर माल ढुलाई आसान हुई है। हालांकि उद्योग संगठनों का यह भी कहना है कि सड़क किनारे होने वाली अन्य प्रकार की अनौपचारिक वसूली अभी भी जारी है और उस पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। कथित 'भाइपो टैक्स' नेटवर्क पर यह कार्रवाई भाजपा सरकार के उस बड़े राजनीतिक अभियान का हिस्सा मानी जा रही है, जिसमें पिछली टीएमसी सरकार से जुड़े नेताओं के खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं। नई सरकार ने बनर्जी के कार्यकाल में शुरू की गई कई योजनाओं और प्रशासनिक फैसलों की समीक्षा भी शुरू कर दी है, जो राज्य में बड़े राजनीतिक और नीतिगत बदलाव का संकेत माना जा रहा है।

अब महाराष्ट्र में शुरु ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आंतरिक तनाव, संगठनात्मक अनिश्चितता और आगामी स्थानीय निकाय एवं विधानसभा चुनावों से पहले जा रहे राजनीतिक संदेशों को लेकर चिंताओं का सामना कर रही है। पार्टी ने जनवरी में अपने सबसे बड़े नेता अजित पवार को हवाई हादसे में खो दिया था। पार्टी के भीतर यह बदलाव आंतरिक समीकरणों को बदलने की प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है। नरेश अरोड़ा, जो पार्टी के रणनीतिक और संगठनात्मक इनपुट संभाल रहे थे, उन्हें वरिष्ठ नेताओं सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल का करीब माना जाता था।

उनका जाना और किशोर के नेटवर्क के संभावित प्रवेश ने यह अटकलें बढ़ा दी हैं कि क्या पार्थ पवार और सुनेत्रा पवार के आसपास युवा नेतृत्व संरचना के रूप में एक नया शक्ति केन्द्र उभर रहा है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि इस नियुक्ति ने कुछ पदाधिकारियों में चिंता पैदा कर दी है, जिन्हें डर है कि किशोर की टीम जब जिम्मेदारी संभालेगी तो मीडिया, डिजिटल और संगठनात्मक सेटअप में व्यापक बदलाव हो सकता है। लेकिन, अन्य लोग मानते हैं कि यह कदम नेतृत्व द्वारा पार्टी की छवि को मजबूती से पुनर्निर्मित करने और हाल की राजनीतिक असफलताओं के बाद चुनावी मशीनरी को मजबूत करने का संकेत है।

अभिषेक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रोक दिया है। यह संरक्षण 31 जुलाई तक या मामले के निपटारे तक लागू रहेगा। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता बिना पूर्व अनुमति के यात्रा नहीं कर सकेंगे और ऐसी किसी भी गतिविधि से 48 घंटे पहले जांच अधिकारी को सूचना देना आवश्यक होगा।

अवैध किडनी ट्रांसप्लांट मामले ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अदालत का सहयोग करने के लिए आदेश दिए थे। इस मामले की सुनवाई के दौरान सवाल यह भी उठा था कि अगर आरोपियों को जमानत दे दी गई तो क्या वे वापस बांग्लादेश लौट सकते हैं? क्योंकि आरोपी मेडिकल वीज़ा पर भारत आए थे और अब अब उस वीज़ा की अवधि भी खत्म हो चुकी है।

न्यायाधीश अनूप कुमार ढंढ ने जमानत याचिका मंजूर करते हुए कहा कि विदेशी नागरिक सहित किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 306 की उपधारा 4 के तहत सरकारी गवाह बने आरोपी को ट्रायल पूरी होने तक हिरासत में रखने का प्रावधान है, लेकिन उनके बयान होने पर उन्हें मुख्य आरोपी से बदतर स्थिति में अनिश्चितकाल तक अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता।

अदालत ने कहा कि दोनों बांग्लादेशियों के बयान सरकारी गवाह के तौर पर निचली कोर्ट में दर्ज हो चुके हैं और उनकी हिरासत को 24 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। इस मामले के मुख्य व प्रमुख आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। ऐसे में इन्हें जमानत देना उचित होगा। ज्ञातव्य है कि कुछ मुख्य आरोपी विदेश भाग गए हैं।

हाईकोर्ट ने निचली अदालत को कहा कि वह लंबित केस की ट्रायल में तेजी लाए और इसे खत्म करने के लिए कदम उठाए। परंतु सवाल यह उठता है कि इस मामले की जांच किस प्रकार और कब तक खत्म हो पाएगी और क्या तब तक ये बांग्लादेशी हिंदुस्तान में ही रहेंगे? दरसल इमिग्रेशन एण्ड फॉरनर्स एक्ट 2025, के तहत भारत सरकार के द्वारा नियुक्त इमिग्रेशन अधिकारी यह फैसला करता है कि एक विदेश अभियुक्त, जिस पर भारत पर मुकदमा चल रहा हो, वह अपने देश बेल मिलने पर वापस जा सकता है कि नहीं। परन्तु इस मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी पर बेल देते समय शर्त लगाई है कि वह निचली अदालत के समक्ष समय-समय पर हाजरी देता रहेगा। मामले को जानने वाले अधिवक्ताओं का कहना है कि हाईकोर्ट की शर्त के कारण आरोपी का बांग्लादेश जाने का आवेदन स्वत: ही अस्वीकार कर दिया जायेगा। परन्तु अब यह सवाल उठता है कि बेल मिलने के बाद क्या आरोपी डिटेनशन सेंटर में रहेंगे कि जेल के बाहर, यह आदेश में स्पष्ट नहीं है।

जमानत याचिका में अधिवक्ता के.सी.शर्मा ने कहा कि इन दोनों आरोपियों ने साल 2024 में जवाहर सर्किल थाने में दर्ज अवैध किडनी ट्रांसप्लांट और मानव तस्करी के आरोप मामले में अप्रूवर बनकर पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इसके आधार पर मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है।

सभी मुख्य आरोपी नियमित जमानत पर रिहा हो गए हैं। उन्हें जेल में दो साल से भी ज्यादा समय हो गया है और उनके बयान भी दर्ज हो चुके हैं, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि सीआरपीसी के तहत अप्रूवर को केस की सुनवाई पूरी होने तक हिरासत में रखने का प्रावधान है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

मोजतबा की दो टूक, ईरान अपना ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सूत्रों के अनुसार, ईरान के शीर्ष अधिकारी मानते हैं कि इस सामग्री को विदेश भेजना देश को भविष्य में अमेरिका और इज़रायल के हमलों के प्रति अधिक असुरक्षित बना देगा। खामेनेई को सबसे महत्वपूर्ण राज्य मामलों पर अंतिम निर्णय का अधिकार है। वाइट हाउस और ईरान के विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी के अनुरोधों का कोई जवाब नहीं दिया।

28 फरवरी को अमेरिका-इज़रायल के हमलों के साथ शुरू हुए युद्ध में एक अस्थायी युद्धविराम लागू है, लेकिन शांति प्रयासों में कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है, क्योंकि अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों पर लगाया गया ब्लॉकैड और होर्मुज़ स्ट्रेट पर तेहरान का नियंत्रण, पाकिस्तान द्वारा मध्यस्थता की जा रही वार्ता को जटिल बना रहा है।

ईरान के मुख्य शांति वार्ताकार मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने बुधवार को कहा कि "शत्रु की स्पष्ट और छिपी चालें" यह दर्शाती हैं कि अमेरिकी नए हमलों की तैयारी कर रहे हैं।

ट्रम्प ने बुधवार को कहा कि यदि ईरान शांति समझौते के लिए सहमत नहीं होता, तो अमेरिका तेहरान पर और हमले करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने संकेत दिया कि वॉशिंगटन कुछ दिन इंतजार कर सकता है "सही उत्तर पाने के लिए।"

सूत्रों के अनुसार, दोनों पक्षों ने कुछ अंतर को कम करना शुरू किया है, लेकिन तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर गहरी खाई बनी हुई है, जिसमें समृद्ध यूरेनियम भंडार का भविष्य और संवर्धन के अधिकार को मान्यता देने की मांग शामिल है।

ईरानी अधिकारियों ने बार-बार कहा है कि तेहरान की प्राथमिकता युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त करना और यह सुनिश्चित करना है कि अमेरिका और इज़रायल आगे कोई हमला न करें।

उन्होंने कहा कि जब तक ऐसी गारंटी नहीं मिलती, तब तक ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर विस्तृत बातचीत के लिए तैयार नहीं होगा। तेहरान ने लंबे समय से परमाणु बम बनाने की कोशिश करने से इनकार किया है।

इज़रायल के पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन उसने कभी इसकी पुष्टि या खंडन नहीं किया है और दशकों से इस मामले में अस्पष्ट नीति अपनाए रखी है। युद्ध से पहले, ईरान ने संकेत दिया था कि वह अपने 60 प्रतिशत समृद्ध यूरेनियम के आधे भंडार को विदेश भेजने को तैयार है, जो नागरिक उपयोग के लिए आवश्यक स्तर से बहुत अधिक है।

लेकिन सूत्रों के अनुसार, ट्रम्प की बार-बार धमकियों के बाद ईरान की स्थिति बदल गई।

इज़रायल निराश महसूस कर रहा है, क्योंकि उसके अधिकारी, माहौल को तनावपूर्ण बनाए रखने के उद्देश्य से, रॉयटर्स को बता रहे हैं कि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि ट्रम्प हमला करेंगे या नहीं, और क्या वे इज़रायल को संचालन फिर से शुरू करने की अनुमति देंगे। तेहरान ने हमला होने पर कड़ा जवाब देने की कसम खाई है।

आईएईए का अनुमान है कि जून 2025 में, जब इज़रायल और अमेरिका ने ईरानी परमाणु सुविधाओं पर हमला किया था, तब ईरान के पास 60 प्रतिशत समृद्ध 440.9 किलोग्राम यूरेनियम था। अब कितना बचा है, यह स्पष्ट नहीं है।

आईएईए प्रमुख राफेल ग्रोसी ने मार्च में कहा कि बचे हुए भंडार का मुख्यत: इस्फ़हान परमाणु सुविधा में एक सुरंग परिसर में भंडारण है, और उनके एजेंसी का मानना है कि वहां लगभग 200 किलोग्राम यूरेनियम है। यह भी मानता है कि कुछ भंडार नतान्ज़ के व्यापक परमाणु परिसर में है, जहां ईरान के पास दो संवर्धन संयंत्र हैं।

फाल्टा में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सहायक मतदान केन्द्र शामिल थे। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए थे। केन्द्रीय बलों की लगभग 35 कंपनियां तैनात की गई थीं, जबकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 30 त्वरित प्रतिक्रिया दल सक्रिय रखे गए थे। प्रत्येक बूथ पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के आठ जवान तैनात किए गए थे।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908